(79)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2059-पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 26-5-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 90/अपील/2015-16

सदाशिव पिता नंदराम जोशी
निवासी ग्राम खजराना (पाटीदार धर्मशाला के पास)
तहसील व जिला इंदौर .....आवेदक

विरूद्ध

1-अजयसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह राजपूत
निवासी ग्राम लसूडिया मोरी
तहसील व जिला इंदौर
2-रामसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत
मृतक तर्फे वैध वारिसान :-
अ-बाबूसिंह पिता स्व0रामसिंह राजपूत
ब-जादूसिंह पिता स्व0रामसिंह राजपूत
दोनों निवासी ग्राम मुरादपुरा तहसील सांवेर
जिला इंदौर .....अनावेदकगण

श्री मनीष पालीवाल, अभिभाषक, आवेदक.
श्री दुर्गेश कुमार शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2 (अ) (ब)

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/6/19 **को पारित)**

आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-5-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मुरादपुरा तहसील सांवेर स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 6/1 रकबा 0.388 हेक्टेयर रामसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित रही है । रामसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत द्वारा प्रश्नाधीन भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा आवेदक को दिनांक 1-11-1999 से विक्रय की जाने से उक्त विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 16-7-2010 को राजस्व अभिलेख में नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24-11-2015 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26-5-2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही पारदर्शीतापूर्ण विधिक नियमों एवं विधि के अनुरूप होना चाहिये । आज्ञापक नियमों एवं विधियों के उल्लघंन से संचालित कार्यवाहियॉ विधिपूर्ण आदेश को भी आज्ञापक प्रावधानों का पालन न करने से दोषपूर्ण बना देती है । अपील में विलम्ब होने पर सर्वप्रथम धारा 5 अवधि विधान के आवेदन का निराकरण किया जायेगा । अपील गुणदोषों पर निराकृत नहीं की जा सकती ।

(2) भूमि के विषय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील में रोक आदेश प्रदान किये जाने पर भूमि के संबंध में अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकती है । भूमि के संबंध में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अपास्त किया गया । तहसीलदार को उच्च न्यायालय में रोक होने पर आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने विक्रय पत्र तथा वर्ष 1999-2000 में अनावेदक क्रमांक 1 का नाम दर्ज होने के आधार पर आदेश पारित कर दिया जबकि प्रकरण की विधिक स्थिति का ध्यान नहीं रखा तथा विक्रय पत्र दिनांक को अजय सिंह 10 माह का था तथा नामान्तरण प्रकरण में समय 3 वर्ष की आयु का था फिर उसके द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित करने तथा नामान्तरण कार्यवाही में उपस्थित होने तथा वकीलपत्र निष्पादित

करने तथा नामान्तरण कार्यवाही में उपस्थित होने तथा वकीलपत्र निष्पादित करने का तथ्य असंभव है ऐसी संदिग्ध एवं अवैधानिक शून्य कार्यवाही तथा शून्य विक्रय पत्र के आधार पर विधि तथ्यों को नजरअंदाज कर पारित किया गया आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के दिनांक को अजय सिंह की आयु 15 वर्ष थी । यह विधिका सुस्थापित सिद्धांत है कि अवयस्क बिना संरक्षक के अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता है । वर्तमान प्रकरण में अपील अवयस्क द्वारा प्रस्तुत की गई होकर न्यायालय द्वारा इस संबंध में किसी अनुमति के अभाव में अपील प्रस्तुत होना माना नहीं जा सकता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा इस आज्ञापक प्रावधान एवं प्रकरण की इस स्थिति को ध्यान ही नहीं दिया है जबकि इस संबंध में वर्तमान आवेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समक्ष ही आपत्ति ली गई है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रं. 1 प्रकरण में एकपक्षीय है ।

5/ अनावेदक क्रं. 2 के वारिसानों की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है उक्त स्थगन आदेश का दृष्टिओझल करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया है। राजस्व न्यायालय में अपने वरिष्ठ न्यायालयों एवं उच्च न्यायालय के आदेशों से बंधे हुये है। जिनका पालन करना उनके लिये आज्ञापक है । वर्तमान प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य सिविल वाद व्यवहार न्यायालय सांवेर के समक्ष लंबित था, जिसमें अजयसिंह के विरूद्ध न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया है, उक्त आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है तथा उसके उल्लंघन में की गई समस्त कार्यवाही अपास्त योग्य है ।

(2) अपीलीय न्यायालय को प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में कोई आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी । उनके आदेश अधिकारिताहीन एवं उच्च् न्यायालय के आदेश के विपरीत पारित किया गया आदेश होने से अपास्त योग्य है ।

(3) अजयसिंह के द्वारा जिस विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरण चाहा गया था वह अपने आप में अधिकार हीन शून्य होकर उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते और ना ही विधिक दृष्टि से विक्रय लेख कोई प्रभाव रखता है । विक्रय पत्र निष्पादन दिनांक को अजय सिंह कब्जा प्राप्त करने में सक्षम ही नहीं था, तब उसके पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित होना संभब नहीं था इसी प्रकार पूर्व की नामान्तरण प्रोसिडिंग ने अजयसिंह द्वारा वकील नियुक्त करना तथा हस्ताक्षर कर आवेदन देना दर्शित है जबकि उस समय अजयसिंह की आयु 3 वर्ष के लगभग थी । सिविल न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करते समय निष्कर्ष दिया है । उक्त वैधानिक स्थिति को भी अपीलीय न्यायालय ने अनदेखा कर आदेश पारित किया है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील अवधि बाधित अपील थी ऐसी अवस्था में संहिता की धारा 53 के प्रावधान पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं तथा अवधि बाधित अपील में सर्वप्रथम अवधि विधान के प्रश्न के विनिश्चय किया जाना चाहिये उक्त प्रश्न की विनिश्चय किये बिना ही अपील का गुणदोषों पर निराकरण नहीं किया जा सकता है । अंत में उनके द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य आदेश देने का अनुरोध किया गया ।

5/ आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 के वारिसानों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनावेदक क्रं. 1 द्वारा तहसीलदार सांवेर द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 21 पर दिनांक 4-8-10 को आवेदक के पक्ष में पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर पारित नामांतरण आदेश के विरूद्ध दिनांक 10-1-13 को अवधि बाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश की गई है । विलंब से प्रस्तुत प्रकरणों में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सर्वप्रथम अवधि के बिंदु पर विचार किया जायेगा तदुपरांत ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी परंतु इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि के बिंदु का निराकरण किए बिना आदेश पारित किया गया है, जो न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त बिंदु को अनदेखा किया गया है इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश इसी आधार पर निरस्ती योग्य हैं । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी और अपर आयुक्त ने इस महत्वपूर्ण बिंदु को भी, आवेदक द्वारा उनके समक्ष उठाये जाने के उपरांत अनदेखा किया है, कि अनावेदक क्रमांक 1 की

जन्मतिथि दिनांक 18-6-1997 है और अजयसिंह के पक्ष में जो विक्रयपत्र दिनांक 22-4-1998 का बताया जा रहा है उसके अनुसार विक्रय पत्र दिनांक को वह 10 माह का था और नामांतरण के समय 3 वर्ष की आयु का था ऐसी स्थिति में वह नामांतरण कार्यवाही में कैसे उपस्थित हो सकता था और कैसे अधिवक्ता पत्र निष्पादित कर सकता था । तथाकथित विक्रयपत्र में ना तो संरक्षक का उल्लेख है और ना ही नामांतरण कार्यवाही में, ऐसी स्थिति में तथाकथित विक्रयपत्र और उसके आधार पर की गई नामांतरण कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी के समय अपील अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत की गई है, और उस समय उसकी आयु 15 वर्ष थी । जबकि अव्यस्क बिना संरक्षक के अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता है । इस तथ्य को भी अपीलीय न्यायालयों ने अनदेखा किया गया है । यहां यह भी उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनावेदक क्रं. 2 के वारिसों द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद में व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 30-4-15 को स्थगन दिये जाने के आधार पर प्रकरण स्थगित रखने का आवेदन अनावेदक क्रं. 2 के वारिसों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिया गया था, परंतु उसे भी अनदेखा कर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित किया गया है जो अवैधानिक है । अत: प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत न होने से स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-5-16 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-11-15 अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर